

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] No. 76] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/ माघ 23, 1939

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018 MAGHA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 155 (अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 11 में, "31 मार्च, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर, "30 सितंबर, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/27/2013-सीएल-V(पार्ट)]

के. वी. आर. मूर्ति , संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3 के उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1316(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

827 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2018

- **G.S.R. 155** (E).— In exercise of the powers conferred by section 247 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, in rule 11, for the figures, letters and word "31st March, 2018", occurring at both the places, the figures, letters and word "30th September, 2018" shall be substituted.

[F.No.1/27/2013-CL-V(Part)]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1316(E), dated 18th October, 2017.